न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS.

पत्रावली संख्या : 40/23 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2023/141

1. श्रीमति फेफा कुंवर पत्नी सोहनसिंह जी जाति राजपुत उम्र–वयस्क निवासी–राणावतो का गुड़ा तहसील मावली जिला–उदयपुर (राजस्थान)।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणपतलाल पुत्र रामगोपाल जी शर्मा जाति ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी– 2 ब–8, प्रभातनगर, से.नं.–5 उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री ललितसिंह पिता मानसिंह जी जाति शेखावत उम्र–वयस्क निवासी–62 समतानगर हि.मं.–4 उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री जीवराज पिता कना जी जाति डांगी उम्र–वयस्क निवासी– जुनावास तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री भागचंद पिता कना जी जाति डांगी उम्र–वयस्क निवासी – जुनावास तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री हरजी डांगी पिता स्वर्गीय लच्छीराम जी जाति डांगी उम्र–वयस्क निवासी–जुनावास तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री सुखलाल पिता कना जी जाति डांगी उम्र–वयस्क निवासी– जुनावास तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
7. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)।

...............विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 25.07.2024

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राणावतो का गुड़ा पटवार हल्का खेमली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 4724/3939 रकबा 0.0405 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थीया के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के पूर्व व पश्चिम दिशाओं में विपक्षीगण की भूमि है। विपक्षीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्थगन आज्ञा का आदेश फरमाया जावें

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:30 IST
Reason: SelfAttested

कि उक्त वर्णित भूमि की पूर्वी व पश्चिमी दिशाओं सीमांकन कराया जाकर दोनो दिशाओ में पत्थरगड़ी कराई जावे। एवं विपक्षीगण को इस बात के लिये पाबंद किया जावे की वो मुझ प्रार्थीया के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करे तथा प्रार्थीया को शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें, ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी 7 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरणग्रस्त भूमि प्रार्थीया की तन्हा खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 6 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगया की भूमि का पूर्व व पश्चिम दिशाओ का सिमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा राणावतो का गुढा पटवार हल्का खेमली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 128 पर दर्ज आराजी नम्बर 4724 / 3939 किता 1 कुल रकबा 0.0405 हैक्टर भूमि की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीया के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 6 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। इसलिये प्रार्थीया को अपनी तन्हा खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित होकर कोई एतराज नही किया गया जिससे जाहीर होता है कि विपक्षी संख्या 1 से 6 को प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000 / –रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा राणावतो का गुढा पटवार हल्का खेमली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 128 पर दर्ज आराजी नम्बर 4724 / 3939 किता 1 कुल रकबा 0.0405 हैक्टर भूमि के पूर्व व पश्चिम दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Damor
Date: 2024.07.31 18:54:50 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगड़ी प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:50 IST
Reason: SelfAttested